



दिनांक:- 07.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना चरखारी पुलिस टीम ने 45 अदद क्वार्टर अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार...।



जनपद महोबा में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब/नशीले पदार्थों की बिक्री एवं अपराधिक घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने के क्रम में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम के निर्देशन पर व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के सफल पर्यवेक्षण में अभियान चलाया जा रहा है।

जिसके क्रम में आज दिनांक 07.04.2021 को SHO चरखारी श्री महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित उ0नि0 अनूप कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में टीम द्वारा अभियान में सम्मिलित होकर चौकीदार कंधी यादव के घर से लगभग 20 कदम की दूरी पर वहद ग्राम नरेडी से अभियुक्त विनोद कुमार कुशवाहा पुत्र दुलीचन्द उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी में एक पेट्टी 45 अदद क्वार्टर कैटरिना ब्रांड देशी शराब नाजायज बरामद की गयी जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 87/21 धारा 60 EX ACT पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम...।

1. उ.नि. अनूप कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी सूपा थाना चरखारी।
2. का. अंकित कुमार
3. कां0 सुयश दुबे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण..।

विनोद कुमार कुशवाहा पुत्र दुलीचन्द उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम नरेडी थाना चरखारी जनपद महोबा।



दिनांक:- 07.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना खरेला पुलिस टीम ने 04 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध की गुण्डा एक्ट की कार्यवाही...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही सम्बन्धी अभियान के क्रम में दिनांक 06.04.2021 को **SHO** खरेला श्री विजय कुमार सिंह द्वारा 04 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.एचएस 37ए कंधी लोधी पुत्र हरीसिंह लोधी उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा 2.कल्लू सिंह पुत्र लल्लू सिंह उम्र करीब 36 वर्ष 3.कल्याण पुत्र कंधी प्रजापति उम्र करीब 26 वर्ष 4.रज्जू भदौरिया पुत्र वीरभान उम्र करीब 27 वर्ष के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी उक्त सभी अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं एवं इनके आपराधिक क्रियाकलापों से क्षेत्र की आम जनता में भय व्याप्त रहता है।

उक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु०सि०नं० क्रमशः 06/21, 07/21, 08/21 व 09/21 धारा 03 यू०पी० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी।

निरोधात्मक कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम...

1. **SHO** खरेला श्री विजय कुमार सिंह
2. का० हर्षित सिंह
3. का० वीरेन्द्र कुमार यादव

अभियुक्तों का विवरण:-

1. एचएस 37ए कंधी लोधी पुत्र हरीसिंह लोधी उम्र करीब 52 वर्ष निवासी ग्राम बल्लांय थाना खरेला जनपद महोबा
2. कल्लू सिंह पुत्र लल्लू सिंह उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम ऐंचाना थाना खरेला
3. कल्याण पुत्र कंधी प्रजापति उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम ऐंचाना थाना खरेला
4. रज्जू भदौरिया पुत्र वीरभान उम्र करीब 27 वर्ष निवासी ग्राम ऐंचाना थाना खरेला





दिनांक:- 07.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा पैदल गस्त के दौरान शराब की दुकानों की चेकिंग की गई एवं यातायात/कोविड-19 नियमों के उल्लंघन पर किये ई-चालान

यातायात/कोविड-19 नियमों के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा 55 वाहनों से 7700/-रु0 शमन शुल्क व 55 ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 07.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पंचायत चुनाव के मद्देनजर क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र मय चरखारी पुलिस फोर्स के कस्बा चरखारी में पैदल गस्त के दौरान शराब की दुकानों की चेकिंग की गई एवं संदिग्धों से पूछताछ की गई। जनपदीय थानों द्वारा भी पैदल गस्त के अपने थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई।





दिनांक:- 07.04.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



“एण्टी रोमियो टीम” द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओ/महिलाओं को किया गया जागरूक

करके बालिकाओं/महिलाओं को आवश्यक हेल्पलाइन नम्बरों यथा- 112, 1090, 1076 व जनपदीय थानों के नं0 नोट कराये गये।



आज दिनांक 07.04.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में जनपदीय थानों द्वारा संचालित हो रहे “एण्टी रोमियो टीम” द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए कानूनी जानकारी दी गई। जिससे उनमें आत्म-विश्वास बढ़े एवं महिला हिंसा के प्रति जागरूक हो सके।

इसके साथ ही प्रभारी एण्टी रोमियो टीम निरीक्षक रचना सिंह मय टीम एवं प्रभारी महिला चौकी उ0नि0 नीलम यादव मय टीम के क्षेत्र में पैदल गस्त

